भारत सरकार
GOVRNMENT OF INDIA
लोक संपर्क और संचार ब्यूरो
BUREAU OF OUTREACH &COMMUNICATION
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
SOOCHNA BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI - 110003
वेबसाइट: www.davp.nic.in

फा.सं. सीओ (एवी)/सीआरएस एम्पैनलमेंट/2021-22 **दिनांक:- 3 फरवरी, 2022**

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए परामर्शिका

विषय: लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) को पैनलबद्ध करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन के लिए परामर्शिका।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लें, जिसमें लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) को पैनलबद्ध करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।

2. संशोधित दिशा-निर्देश अनुलग्नक-क में संलग्न हैं।

3. तथापि, मंत्रालय के दिनांक 21.05.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 104/102/2009-सीआरएस द्वारा जारी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर प्रयोजित कार्यक्रमों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व की भांति बने रहेंगे। (यह अनुलग्नक-ख में संलग्न है)

यह प्रधान महानिदेशक, बीओसी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(श्रीराग एम)
उपनिदेशक (ए.वी.)

संलग्न- अनुलग्नक 'क' और 'ख'

सं. एन-35016/7/2021-ओ/ओ एडी (सीआरएस)

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

116, ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
दिनांक:- 3 फरवरी, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) को पैनलबद्ध करने के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन ।

कृपया इस मंत्रालय के दिनांक-21.05.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 104/102/2009-सीआरएस और दिनांक 30.07.2021 संख्या- 104/104/2021-सीआरएस दिनांकित 30.07.2012 हेतु आमंत्रण का संदर्भ लें।(प्रतियाँ संलग्न हैं)

2. मंत्रालय के दिनांक-21.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 104/102/2009-सीआरएस और दिनांक-30.07.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 104/104/2012-सीआरएस के माध्यम से जारी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को पैनलबद्ध करने के लिए दिशा-निर्देशों के आंशिक बदलाव के साथ सीआरएस को बीओसी के साथ पैनलबद्ध करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। संशोधित दिशा-निर्देश अनुलग्नक-क में संलग्न हैं।

3. तथापि, मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.104/102/2009- सीआरएस दिनांकित 21.05.2012 के माध्यम से जारी सीआरएस पर प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश पूर्ववत बने रहेंगे।

4. बीओसी से अनुरोध है कि वह अपनी वेबसाइट पर सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को पैनलबद्ध करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी करें।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न- उपरोक्त

(गौरीशंकर केसरवानी)
अपर निदेशक (सीआरएस)
दूरभाष-23386547
ई-मेल आईडी – gs.keswani.pb@nic.in

सेवा में,
लोक संपर्क और संचार ब्यूरो,
{सुश्री रंजना देव शर्मा, अपर महानिदेशक (एवी)}
सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को पैनलबद्ध करने के लिए दिशा-निर्देश

1. पात्रता मापदंड -

क.) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त संगठनों को लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) के साथ पैनलबद्ध करने पर विचार किया जाएगा।

ख.) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त सभी संगठनों की सूची बनाई जाएगी और इसे मासिक आधार पर मंत्रालय द्वारा अद्यतित किया जाएगा ।

2. <u>विज्ञापनों की दर</u>

पैनलबद्ध संगठनों के लिए विज्ञापनों की दर 52 रुपये प्रति दस सेकंड प्रसारण की होगी।

3. <u>बिलों का भुगतान</u>

क.) प्रत्येक संगठन अभियान के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर स्वप्रमाणित प्रसारण प्रमाण पत्र और पैन (PAN) संख्या विवरण के साथ, बीओसी को अपने सभी पूर्ण भरे बिल प्रस्तुत करेंगे। संगठन द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित प्रसारण प्रमाण पत्र प्रसारण का मूल साक्ष्य होगा । यदि स्वप्रमाणित प्रसारण पत्र गलत पाया जाता है, तो संगठन की पैनलबद्धता रद्द की जा सकता है और संगठन को प्राप्त अनुमति अवधि के लिए सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने से वंचित किया जा सकता है और "अनुमति को रद्द करने सहित" संबंधित कानूनों के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

ख.) यदि संगठन की कर योग्य सेवा का कुल मूल्य एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक है तो संगठन को जीएसटीएन संख्या रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा इस आशय की एक स्व-घोषित प्रस्तुत करनी होगी।

ग.) अधिक भुगतान के मामले में संगठन से वसूली की जाएगी।

घ.) बीओसी के साथ पैनलबद्ध होना किसी भी व्यवसाय की गारंटी नहीं देता है।

4. अन्य नियम और शर्तें -

क.) यदि संगठन भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों की ओर से दो से अधिक बार बीओसी द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों को स्वीकार करने और पूरा करने से इनकार करता है तो संगठन को सरकारी विज्ञापनों से किसी भी समय विवर्जित (डिबार) किया जा सकता है।

ख.) किसी भी असहमति आदि के मामले में, प्रधान महानिदेशक, बीओसी का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा ।

517746/2021/O/o एडी (सीआरएस) अनुलग्नक-"ख"

सं.104/102/2009-सीआरएस/455

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सीआरएस अनुभाग

कमरा संख्या-116, ए-विंग
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
दिनांक:- 21 मई, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय - डीएवीपी में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के सूचीबद्ध होने, विज्ञापनों की संशोधित दरों और सामुदायिक रेडियो पर प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों के संबंध में।

डीएवीपी द्वारा उपर्युक्त विषय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिनांकित 03.02.2011पत्र संख्या-1/50/2006-एमयूसी (भाग-II) का संदर्भ लिया जा सकता है।

2. भारत सरकार ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर विज्ञापन और प्रायोजित कार्यक्रमों में संशोधन या दरों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अनुशंसाएं मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।

3. तदनुसार, यहाँ सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की पैनलबद्धता हेतु संशोधित दिशा-निर्देश और प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश संलग्न हैं।

4. डीएवीपी में पैनलबद्ध सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रसारण समय का मूल्य 4 रुपये प्रति सेकंड की दर से होगा और यह मूल्य एक वर्ष तक मान्य होंगे, इसके बाद इनकी समीक्षा की जा सकती है।

5. डीएवीपी से अनुरोध है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के पैनलबद्धता हेतु संशोधित दिशा-निर्देश और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश डीएवीपी की वेबसाइट पर डालें।

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(इंद्रजीत ग्रेवाल)
उप निदेशक
दूरभाष- 23385021

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय
(ध्यानार्थ- श्री ए.पी.एफ. नोरोन्हा, महानिदेशक)
सूचना भवन,
लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

सामुदायिक रेडियो पर प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश

दिसंबर-2006 में अधिसूचित नीतिगत दिशा-निर्देश केन्द्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों को सीआरएस पर कार्यक्रमों को प्रायोजित करने और सार्वजनिक हित की जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देते हैं। लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों और दरों की अनुपलब्धता से, मंत्रालयों/ विभागों को सीआरएस की क्षमता का उपयोग कर कार्यक्रम को प्रायोजित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार ने प्रायोजित कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है।

(ii) केन्द्र और राज्य सरकारें संदर्भित रूप में डीएसटी कार्यक्रम दरों का उपयोग कर 150 सेकेण्ड के एफसीटी के साथ 30 मिनट का प्रायोजित कार्यक्रम प्रदान कर सकती है, जिसमें डीएसटी महिलाओं के लिए विज्ञान और उपचारक (स्थानीय रेडियो के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा) कार्यक्रम के लिए अपनी तकनीक का उपयोग करता है। इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए डीएसटी कार्यक्रम दरों का पालन करेंगे और प्रायोजित कार्यक्रम बनाने के लिए सभी संविदाएं एक वर्ष के लिए मान्य होंगे। इसी प्रकार, न्यूनतम दर निम्नवत होंगी।

क. एक वर्ष में 90 कार्यक्रम के लिए; रुपये 6,000/- आधे घंटे के कार्यक्रम के लिए।

ख. एक वर्ष में 180 कार्यक्रम के लिए; रुपये 5,000/- आधे घंटे के कार्यक्रम के लिए।

ग. एक वर्ष में 360 कार्यक्रम के लिए (दैनिक शॉ); रुपये 4,000/- आधे घंटे के कार्यक्रम के लिए।

घ. सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रायोजक मंत्रालय/ विभाग द्वारा दिए गए विषय के अनुसार स्थानीय प्रयोजन कार्यक्रमों को स्थानीय भाषा या बोली में बनाएँगे। किसी भी राज्य या केन्द्र सरकार के मंत्रालय या विभाग को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर प्रसारण के लिए तैयार कार्यक्रमों की पेशकश नहीं करनी चाहिए, चूँकि यह स्थानीय और समुदाय केंद्रित कार्यक्रमों की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता।

ङ. प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए कुल प्रसारण समय का केवल 50% तक उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टेशन 6 घंटे प्रसारण कर रहा है, तो प्रायोजित कार्यक्रमों को केवल तीन घंटे का प्रसारण समय दिया जा सकता है, जिसमें दोहराने वाला प्रसारण समय भी शामिल होगा।

(iii) सभी प्रकार प्रायोजित कार्यक्रम डीएवीपी के माध्यम से जारी किए जाएँगे, जो प्रायोजित विभाग और सामुदायिक रेडियो स्टेशन दोनों के लिए एक एकल बिंदु एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। सभी भुगतान डीएवीपी के द्वारा किए जाएँगे।

(iv) प्रायोजक मंत्रालय/विभाग और संबंधित सामुदायिक रेडियो स्टेशन को प्रायोजित सामग्री हेतु समान अधिकार साझा किए जाएंगे। प्रसारण की निर्धारित संख्या के बाद, कार्यक्रमों को सार्वजनिक डोमेन में जारी किया जा सकता है और सभी सामग्रियों सहित पुन: प्रसारण के लिए अन्य रेडियो स्टेशनों के साथ स्वतंत्र रूप से साझा करने योग्य होना चाहिए। कार्यक्रम उत्पादक स्टेशन अपने संविदात्मक दायित्वों से परे होकर कार्यक्रमों को पुन: प्रसारित कर सकता है, लेकिन पुन: प्रसारण पूर्ण रूप से नि:शुल्क होगा और फिर इसे अन्य इकाई द्वारा प्रायोजित नहीं किया जा सकता है।